राजस्थान–सरकार

न्यायालय जिला कलक्टर एवं प्रथम अपीलेट अधिकारी, भीलवाड़ा

(सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005)

पीठासीन अधिकारी आशीष मोदी (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– **76 / 2022 अपील सू.प्र.**

उनवान

श्री दयाराम दिव्य निवासी मंगरोप तहसील व जिला भीलवाड़ा **बनाम** 1. लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी (न्याय) एवं अति0 जिला कलक्टर (शहर) भीलवाड़ा

––अपीलार्थी ––प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

उपस्थित :– प्रत्यर्थी की ओर से विभागीय प्रतिनिधि

न्यायालय जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

निर्णय

दिनांक : 07.10.2022

अपीलार्थी की ओर से यह प्रथम अपील सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी (न्याय) एवं अति0 जिला कलक्टर (शहर) भीलवाड़ा के विरूद्ध दिनांक 09.09.2022 को प्राप्त होकर निवेदन किया गया कि अपीलार्थी ने विहित अधिनियम की धारा 6(1) के अंतर्गत निर्धारित शुल्क राशि 10/– रूपये का पोस्टल ऑर्डर संख्या 59 एफ 195339 के साथ एक आवेदन दिनांक 26.07.2022 को लोक सूचना अधिकारी एवं अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन) भीलवाड़ा को प्रेषित किया, किन्तु आवेदन से वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी (न्याय) एवं अति0 जिला कलक्टर (शहर) भीलवाड़ा से संबंधित होने से उक्त आवेदन सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6 (3) के तहत अंतरित कर दिया गया।

प्रस्तुत अपील इस न्यायालय में दिनांक 12.09.2022 को पंजीबद्ध की जाकर अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को सूचना पत्र जारी किये गये। प्रत्यर्थी लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी (न्याय) एवं अति0 जिला कलक्टर (शहर) भीलवाड़ा द्वारा पत्रांक न्याय/2022/24162 दिनांक 04.10.2022 से रिपोर्ट प्राप्त हुई। अपीलार्थी द्वारा चाही गयी सूचना के संबंध में प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के तथ्य इस प्रकार हैं –

1. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत प्रस्तुत आवेदन से चाही गयी सूचना/जवाब नियमानुसार न्याय अनुभाग, कार्यालय हाजा के पत्रांक 23833 दिनांक 16.08.2022 से अपीलार्थी को जरिये रजिस्टर्ड डाक उपलब्ध करा दी गई है।

उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को सूचना प्रेषित कर दिये जाने से अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाती है।

आदेश आज दिनांक 07.10.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर जारी किया गया।

(आशीष मोदी)
जिला कलक्टर एवं
प्रथम अपीलेट अधिकारी
भीलवाड़ा

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा